संख्या- 209 /सत्तर-1-2024-20(7)/2023

प्रेषक,

एम0पी0 अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

डायरेक्टर,
सी0यू0 इंटरनेशनल एजुकेशनल ट्रस्ट,
उन्नाव।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक: 09 फरवरी, 2024**

विषयः- सी0यू0 इंटरनेशनल एजुकेशनल ट्रस्ट, उन्नाव, उत्तर प्रदेश द्वारा निजी क्षेत्र में प्रस्तावित चण्डीगढ विश्वविद्यालय, उन्नाव, उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु 'आशय-पत्र'।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रायोजक सी0यू0 इंटरनेशनल एजुकेशनल ट्रस्ट, उन्नाव, उत्तर प्रदेश द्वारा निजी क्षेत्र में प्रस्तावित चण्डीगढ विश्वविद्यालय, उन्नाव, उत्तर प्रदेश की स्थापना के प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 6 के प्राविधानों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन 'आशय-पत्र' निर्गत किया जाता हैः-

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों के लिये प्रायोजक निकाय को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी अर्थात्:-

(क) न्यूनतम 05 (पांच) करोड़ रूपये की स्थायी विन्यास निधि सृजित करना ;

(ख) विश्वविद्यालय के लिए चिह्नित नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम बीस एकड़ अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम पचास एकड़ की संलग्न भूमि सम्यक् रूप से धारित करना ;

परन्तु यह कि प्रायोजक निकाय विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली हेतु ऐसी भूमि अथवा उसके किसी आंशिक भाग का विक्रय, अन्तरण अथवा पट्टा नहीं करेगी और न ही अधिनियम में उल्लिखित प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये इसका उपयोग करेगा;

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऋण प्राप्त करने से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये स्थापित बैंक एवं वित्तीय संस्था से भिन्न किसी व्यक्ति को बंधक नहीं रखी जायेगी।

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भूमि पर कम से कम चौबीस हजार वर्ग मीटर फर्शी क्षेत्रफल में भवन का निर्माण करना जिसमें से कम से कम पचास प्रतिशत क्षेत्रफल का उपयोग शैक्षणिक तथा प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये किया जायेगा;

(घ) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भवन के कार्यालयों और प्रयोगशालाओं में न्यूनतम 2 (दो) करोड़

रूपये के उपस्कर, कम्प्यूटर, फर्नीचर, आस्तियां, खण्ड (ख) में उल्लिखित भवनों से भिन्न अवसंरचनात्मक सुविधायें तथा अन्य उपभोज्य और गैर उपभोज्य सामग्रियां प्रतिष्ठापित करना तथा आगामी पांच वर्षो में न्यूनतम 6 (छः) करोड़ रूपये के कम्प्यूटर, फर्नीचर, आस्तियां तथा अवसंरचनात्मक सुविधायें (उपरोक्त (ख) में उल्लिखित भवन को छोड़कर) तथा अन्य उपभोज्य और गैर उपभोज्य सामग्रियां उपाप्त करने के लिए उपक्रम प्रतिष्ठापित करना;

(ङ) प्रत्येक विभाग या शाखा में विनियामक निकायों द्वारा यथाविहित आचार्यों सह-आचार्यों तथा सहायक आचार्यों और सहायक कर्मचारिवृन्द के सदस्यों की नियुक्ति करना। प्रत्येक विभाग/शाखा में कम से कम पचहत्तर प्रतिशत नियमित अध्यापक विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारी होंगे ;

(च) पुस्तकालय हेतु प्रत्येक वर्ष दस लाख रूपये मूल्य की पुस्तकें व पत्रिकाओं तथा ऑनलाइन संसाधनों को क्रय करना;

परन्तु यह कि दस लाख रूपये के व्यय में कमी होने की स्थिति में इसकी प्रतिपूर्ति अगले वर्ष में की जायेगी;

(छ) विनियामक निकायों के मानकों के अनुसार छात्रों के लिए पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों, पाठ्यचर्या से भिन्न गतिविधियों, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रमों, खेल-कूदों, राष्ट्रीय सेवा योजना तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर की व्यवस्था करना;

(ज) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, भारतीय बार काउंसिल और केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित अन्य विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तों और विनियमों के अनुरूप होना;

(झ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों तथा अध्यापकों के लिए भविष्य निधि स्थापित करना तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ करना;

(ञ) विश्वविद्यालय के प्रशासन और कार्यप्रणाली के लिये परिनियम, अध्यादेश और विनियम बनाना;

(ट) विश्वविद्यालय द्वारा की गई कोई व्यवस्था इस अधिनियम तथा विनियामक निकायों के उपबन्धों से असंगत नहीं होगी;

(ठ) विश्वविद्यालय की पारदर्शी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना और विनियामक निकायों से प्राप्त अनापत्तियों को सार्वजनिक करना;

(ड) राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित प्रारूप और समय पर राज्य सरकार को सूचना उपलब्ध कराना ;

(ढ) सामान्य शैक्षणिक कैलेण्डर, नकल रोकने के उपायों, प्रवेशों, परीक्षाओं, उपाधियों एवं प्रमाण-पत्रों आदि के लिये राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्रतिमानों का अनुपालन करना;

(ण) विश्वविद्यालय में प्रवेश तथा फीस संरचना की पारदर्शी प्रक्रिया तथा मानक का विनिश्चय प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व किया जायेगा तथा सार्वजनिक किया जायेगा। प्रवेश का अंतिम दिनांक, सामान्य शैक्षणिक कैलेण्डर के अनुसार होगा।

विदेशी छात्रों की प्रवेश नीति का विनिश्चय विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् द्वारा किया जायेगा जो राज्य सरकार तथा विनियामक निकायों द्वारा अधिकथित मानकों के अनुरूप होगी;

(त) यथाविहित सामान्य शैक्षणिक कैलेण्डर का अनुसरण करना ; और

(थ) इस अधिनियम के अनुरूप ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करने का दायित्व ग्रहण करना, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व अधिकथित किया जाय;

(द) विश्वविद्यालय के परिसर के भीतर अथवा विश्वविद्यालय के नाम से राष्ट्रविरोधी क्रियाकलाप करने या उनका सम्वर्द्धन करने में किसी व्यक्ति को न तो संलिप्त होने और न ही उसकी अनुज्ञा देने का वचन देना। विश्वविद्यालय में पाये गये ऐसे क्रियाकलाप के मामले में, इसे विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की शर्तों का महा उल्लंघन माना जायेगा और सरकार इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

2- प्रस्तावित भूमि के मध्य स्थित शासकीय भूमि का विनिमय प्रायोजक संस्था द्वारा नियमानुसार कराते हुये शासन को सूचित किया जायेगा।

3- प्रायोजक संस्था द्वारा 12.5 एकड़ से अधिक भूमि क्रय किये जाने की दशा में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किये जाने का विवरण अथवा राजस्व विभाग के आदेश संख्या-11/2021/928/ एक-1-2021-रा0-1 दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 के अन्तर्गत कृत कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।

4- प्रायोजक संस्था द्वारा विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऋण प्राप्त करने से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए स्थापित बैंक एवं वित्तीय संस्था से भिन्न किसी व्यक्ति को बंधक नहीं रखेगा, इसके परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित भूमि के सापेक्ष ऋण/भूमि बन्धक रखे जाने की अद्यतन स्थिति।

प्रायोजक संस्था द्वारा भूमि अथवा भवन आदि को बन्धक रखे जाने की स्थिति में नियमावली के नियम-11 के अनुसार पूर्ण विवरण व शपथ-पत्र भी प्राप्त कर संलग्न किया जायेगा।

5- प्रायोजक संस्था द्वारा भवन का नक्शा सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराकर निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत किया जायेगा।

6- प्रस्तावित भूमि पर निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु सम्बन्धित प्राधिकरण/नगर निकाय का अनापत्ति पत्र संलग्न किया जायेगा।

7- प्रायोजक संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के सम्परीक्षित वित्तीय लेखें/बैलेंस शीट प्रस्तुत किये जायेंगे।

8- प्रस्तावित भूमि के मध्य स्थित समस्त निजी भूमियों का क्रयकर उसकी सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।

9- यदि भविष्य में धृत/प्रस्तावित भूमि की अधिकारिता/अन्तरण के सम्बन्ध में राजस्व विधि से

असंगतता पायी जाती है, तो उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 यथा संशोधित अथवा अन्य सुसंगत राजस्व विधि में विहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

10- प्रायोजक संस्था उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (पूर्ववर्ती-लीडा) की महायोजना-2031 के अन्तर्गत भू-उपयोग के अनुसार तथा पूर्ववर्ती-लीडा भवन विनियमावली-2009 के अनुरूप कार्यवाही करते हुए विश्वविद्यालय के भवनों का निर्माण कराते हुए उसकी सूचना, स्वीकृत भवन मानचित्र व अन्य अभिलेखों सहित शासन को अनुपालन आख्या के साथ प्रस्तुत की जायेगी

11- उपर्युक्त शर्तों के अधीन निर्गत किये गये आशय-पत्र के सम्बन्ध में प्रायोजक संस्था द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिशपथ-पत्र में अधिनियम, 2019, उसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन किये जाने की वचनबद्धता दी जायेगी। प्रतिशपथ-पत्र में कपटपूर्ण, असत्य एवं भ्रामक सूचना प्रस्तुत किये जाने की दशा में आशय-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

12- 'उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019' की धारा 6 की उपधारा(1) में प्रायोजक निकाय से धारा 3 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं और शर्तों को पूर्ण किया जाना और राज्य सरकार को उसकी अनुपालन आख्या प्रतिशपथ-पत्र के साथ 'आशय-पत्र' जारी किये जाने के दिनांक से अधिकतम 02 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अधिनियम की धारा 3 में विश्वविद्यालय की स्थापना की शर्तों का उल्लेख है।

उपर्युक्त शर्तों के अधीन निर्गत किये गये 'आशय-पत्र' के सम्बन्ध में प्रायोजक संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट 02 वर्ष की अवधि के भीतर अधिनियम की धारा 3 के उपबन्धों का अनुपालन करने में विफल रहने की दशा में निर्गत किया गया 'आशय-पत्र' राज्य सरकार द्वारा वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(एम0पी0 अग्रवाल)
प्रमुख सचिव

संख्या- 209 (1)/सत्तर-1-2024-20(7)/2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, इंदिरा भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव